

विपक्षीयता का सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-6-23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर माण्डल

28/6/23

उपखण्ड उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं । प्रकाश पर है । बदरित है । अतः पत्रावली दिनांक 28-6-23 को पेश हो ।

रीटर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

25/7

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथीगण उपस्थित, विपक्षीयता के सम्मन खाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शां पठ किये गये। विपक्षीयता को कितनी बार कंक-कंक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्राथीगण की बहस सुनी गयी, वकील प्राथीगण का शां पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय घृषक से लिखा जाकर शां पठ किया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर गठवर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला पीतावाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 133/23 प्रा०पत्र

1- श्रीमती आमी लाल सोहन बलई निवासी-मेलियारा तहसील-माण्डल (कॉर)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती हाशदेवी लाली कांतूरामकर तिवारी (वाहो) निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (कॉर)
(सिंहकिंन-प्रा०पत्र संकें)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक- 25.07.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेलियारा पटवार हल्का तावडी तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 756/70 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैरो भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वोकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम मेलियारा पटवार हल्का तावडी तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 756/70 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए गुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा